



सां/No.: 5-1(638)/2019-PD

दिनांक/Dated: 08.05.2019

प्रेषक / From:

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर. के सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालों/संस्थाओं/इकाईयों के निदेशक/प्रमुख
The Directors/Heads of all National Labs./Instts./Units of CSIR

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

सीएसआईआर के दिनांक 23.04.2019 के सम संख्या के पत्र जारी करने के उपरान्त, विभिन्न प्रयोगशालों/संस्थाओं ने प्रश्न किया है कि क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान दैनिक उपयोग के मदों की खरीद की जा सकती है। इस संबंध में महानिदेशक, सीएसआईआर के अनुमोदन से यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे वस्तुओं की खरीद हो सकती है जो प्रकृति में नियमित हैं और प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए आवश्यक हो परंतु ऐसी खरीद किसी भी तरीके से निर्वाचक समूह को प्रभावित न करे।

Consequent upon issuance of the CSIR letter of even No. dated 23.04.2019, queries are being received from various Labs./Instts as to whether purchase of routine items can be done during the period whilst the Model Code of Conduct is in force. In this regard it is clarified with the approval of DG, CSIR that purchase of items may be done which are routine in nature and required for day to day functioning of Labs./Instts. provided such procurement does not influence the electorate in any manner whatsoever.

भवदीय/Yours faithfully,

(बी. के. सिंह / B. K. Singh)
उप सचिव (नीति प्रभाग) / DS(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- 1) प्रमुख, आईटी डिवीजन - इस सर्कुलर पत्र को वेबसाइट और नीति रिपोजिटरी पर उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ / Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- 2) कार्यालय प्रति / Office copy